जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

(जिला पंचायत शाखा)

संविदा आधारित नियुक्ति

विज्ञापन संख्या – 01/XVF/2021

ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची के पत्रांक 410 दिनांक 22.02.2021 के द्वारा संविदा पर कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। पूर्वी सिंहभूम जिला के लिए कनीय अभियंता का 22 पद तथा लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर का 46 पद स्वीकृत किया गया है।

ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 395 दिनांक 19.02.2021 के अनुसार प्रत्येक पाँच पंचायत पर एक लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रत्येक प्रखण्ड के लिए दो कनीय अभियंता को 15वें वित्त आयोग की अनाबद्ध अनुदान मद की राशि से तकनीकी सहयोग के रुप में व्यय हेतु कर्णांकित राशि से पंचायतों में मासिक मानदेय पर रखने की स्वीकृति प्राप्त है।

आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों की संख्या एवं मासिक मानदेय निम्न प्रकार है:–

क्र0	सेवा का नाम	पद की संख्या	आरक्षण वर्ग					क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी विवरणी	मासिक मानदेय
			ST	SC	BC (Anex-I)	BC (Anex-II)	UR		
1.	कनीय अभियंता	22	6	1	2	2	11	4% पद क्षैतिज रूप से अंधापन अथवा अल्पदृष्टि वाले दिव्यांग के लिए आरक्षित होगा।	17000/–
2.	लेखा लिपिक –सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	46	13	2	4	4	23		10000/–

उपरोक्त दोनों रिक्त पदों पर कोटिवार निर्धारित आरक्षण के अनुसार (जो सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदनोपरान्त अंतिम माना जायेगा) संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों से निम्न दिशा निर्देश एवं शर्तो के तहत् विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

आवेदन जमा करने की तिथि 17-03-2021 से 23-03-2021 तक है।

1. पद का नाम– कनीय अभियंता

(क) आरक्षण नीति : कनीय अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत जिलावार आरक्षण नीति लागू मानी जायेगी।

(ख) शैक्षणिक योग्यता:– (i) अनिवार्य योग्यता:– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नियमित पाठ्यक्रम में 60 प्रतिशत अंकों के साथ सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत होगा।

(ii) वांछनीय योग्यता:– सम्बन्धित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता एवं अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ग) उम्र सीमा:– कनीय अभियंता के लिए उम्र सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी। उम्र सीमा की गणना 01.01.2021 के आधार पर की जायेगी। वैसे अभ्यर्थी जिन्हें ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग से सम्बन्धित कार्यों का अनुभव हो, उन्हें उम्र सीमा में अधिकतम तीन वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

2. पद का नाम:– लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर

(क) आरक्षण नीति : लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में सेवा प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत जिलावार आरक्षण नीति लागू मानी जायेगी।

(ख) शैक्षणिक योग्यता:– (i) अनिवार्य योग्यता:– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी0कॉम/ बी0एस0सी0(गणित/सांख्यिकी)/बी0ए0(गणित/सांख्यिकी) अथवा समकक्ष डिग्री। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक में 45 प्रतिशत होगा।

(ii) वांछनीय योग्यता:– सम्बन्धित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता एवं अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ग) उम्र सीमा:– लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए उम्र सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी। उम्र सीमा की गणना 01.01.2021 के आधार पर की जायेगी। वैसे अभ्यर्थी जिन्हें ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग से सम्बन्धित कार्यों का अनुभव हो, उन्हें उम्र सीमा में अधिकतम तीन वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

3. चयन की प्रक्रिया :–

(क) कनीय अभियंता पद के लिए चयन शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव एवं विषय के ज्ञान सम्बन्धी जाँच परीक्षा के अंकों के कुल प्राप्तांकों पर आधारित होगा तथा लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर पद के लिए चयन शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव एवं कम्प्यूटर जाँच के अंकों के कुल प्राप्तांकों पर आधारित होगा।
(ख) उपरोक्त दोनों श्रेणियों के पदों के रिक्तियों के विरूद्ध अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक मेधा सूची के आधार पर विषय ज्ञान परीक्षा एवं कम्प्यूटर जाँच के लिए आमंत्रित किया जायेगा।
(ग) मूल्यांकन :–
(I).(i) कनीय अभियंता पद हेतु अभ्यर्थियों का मूल्यांकन 100 अंकों पर किया जायेगा जो निम्न खंडों में विभाजित रहेगा :

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित योग्यता	अनुभव	विषय ज्ञान	योग
50	10	30	10	100

(ii) विषय ज्ञान सम्बन्धी जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत रहेगा यानि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।
(iii) चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50अंक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे।
(iv) अनुभव का तात्पर्य है 14वें वित्त आयोग में कार्य करने का अनुभव। जिसका प्रमाण मानदेय भुगतान सम्बन्धी विवरणी के आधार पर होगा।

(II).(i) लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर पद हेतु अभ्यर्थियों का मूल्यांकन 100 अंकों पर किया जायेगा जो निम्न खंडों में विभाजित रहेगा :

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित योग्यता	अनुभव	कम्प्यूटर ज्ञान	योग
50	10	30	10	100

(ii) कम्प्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत रहेगा यानि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।
(iii) चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे।
(iv) लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में चयन हेतु अभ्यर्थियों को हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण में क्रमशः न्यूनतम 25 एवं 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य होगी।
(v) अनुभव का तात्पर्य है 14वें वित्त आयोग में कार्य करने का अनुभव। जिसका प्रमाण मानदेय भुगतान सम्बन्धी विवरणी के आधार पर होगा।

(घ) जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में उपायुक्त द्वारा संविदा पर नियुक्ति की जायेगी।

4. आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया :–

(i) पैनल में चयन हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में भरे जायेगें जिसे पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिला के वेबसाईट **http://jamshedpur.nic.in/recruitment.htm** से डाउनलोड किया जा सकता है।

(ii) आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते है। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा एवं पदवार अलग–अलग शुल्क जमा करना होगा।

(iii) आवेदक को आवेदन के साथ पद के अनुरुप शुल्क का भुगतान करना होगा जो निम्नवत् होगा :–

क्र0	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
1	कनीय अभियंता	500/-	सामान्य श्रेणी के लिए
		300/-	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए
2	लेखा लिपिक –सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	500/-	सामान्य श्रेणी के लिए
		300/-	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए

(iv) आवेदन शुल्क की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट " **उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर**" शाखा **SBI, Bistupur, Jamshedpur** के पदनाम से देय होगा। बैंक ड्राफ्ट की पीठ पर बायीं तरफ अपना नाम संक्षिप्त पता एवं आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें। **बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति** को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, छायाप्रति स्वीकार्य नहीं होगा।

(v) आवेदन पत्र ई–मेल (**Email ID : recruitmentpanchayat@gmail.com**) के माध्यम से भी समर्पित किया जा सकता है। परन्तु इसकी HARDCOPY स्पीड पोस्ट एवं नियमित डाक से कार्यालय अवधि में भेजे जाने होंगे।

(vi) आवेदन पत्र के साथ योग्यता एवं अनुभव सम्बन्धी वांछित सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों का एक–एक स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं शुल्क सम्बन्धी बैंक ड्राफ्ट " **उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर** " के पते से निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य होगा। लिफाफे पर निश्चित रुप से आवेदित पद का नाम एवं विज्ञापन संख्या मोटे अक्षर में लिखना आवश्यक है।

(vii) आवेदन पत्र के साथ एक स्वपता (पत्राचार पता) लिखा लिफाफा निर्धारित मूल्य का डाक टिकट (निबंधित डाक हेतु) के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

(viii) अधूरा भरा आवेदन पत्र/आवेदन शुल्क रहित आवेदन पत्र/वांछित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न नहीं रहने तथा निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

5. सेवा शर्त:–

(i) चयन समिति केवल पैनल में नाम हेतु अनुशंसा करेगी।

(ii) चयनित अभ्यर्थियों के लिए प्रखण्ड एवं पंचायत के चयन के सम्बन्ध में उपायुक्त के स्तर से निर्णय लिया जा सकेगा। उपायुक्त के स्तर से पंचायतों का कलस्टर तैयार किया जायेगा।

(iii) चयनित अभ्यर्थियों से प्रखण्ड एवं पंचायतों के कलस्टर हेतु विकल्प माँगा जायेगा। योग्यता सह विकल्प (Merit cum Choice) के आधार पर प्रखण्ड एवं पंचायत का कलस्टर अभ्यर्थी को कर्णांकित किया जायेगा।

(iv) कर्णांकित अभ्यर्थियों में से कनीय अभियंता का सेवा अनुबन्ध सम्बन्धित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी –सह– सचिव, पंचायत समिति करेंगे तथा लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर का अनुबन्ध सम्बन्धित पंचायत कलस्टर के सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव द्वारा किया जायेगा।

(v) सेवा अनुबन्ध प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए किया जायेगा। एक वर्ष के पश्चात् उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी जिसके आधार पर सेवा की आवश्यकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर एक–एक वर्ष के लिए सेवा अनुबन्ध का नवीकरण किया जा सकेगा किन्तु सेवा अनुबन्ध सिर्फ 15वें वित्त आयोग की अवधि तक के लिए ही अनुमान्य होगा एवं किसी भी परिस्थिति में इसे आयोग की अवधि के पश्चात् की अवधि के लिए नवीकरण नहीं किया जायेगा।

(vi) सेवा अनुबन्ध का वार्षिक नवीकरण सेवा की आवश्यकता, कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी सेवा अनुबन्ध स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(vii) उपर्युक्त अवधि में सेवा अनुबन्ध पर कार्यरत कर्मी को किसी अन्य स्थान/संस्थाओं इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। साथ ही, पंचायत द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में संवेदक अथवा किसी अन्य रूप में कार्य करने अथवा निविदा में भाग लेने की अनुमति सम्बन्धित कर्मी अथवा उनके पारिवारिक सदस्यों को नहीं होगी।

(viii) यदि कोई कार्यरत कर्मी सेवा अनुबन्ध से स्वतः मुक्त होना चाहेगा, तो सम्बन्धित पंचायतों को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर सेवा अनुबन्ध समाप्त किया जा सकेगा।

(ix) चयनित कर्मी का कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर सम्बन्धित पंचायत सचिव एवं मुखिया संयुक्त रूप से उसे कार्यमुक्त करने की स्पष्ट कारणों के साथ अनुशंसा उपायुक्त को उपलब्ध करायेंगे जिसपर उपायुक्त को 15 दिनों के अन्दर निर्णय लेना अनिवार्य होगा। किन्तु निर्णय के पूर्व सम्बन्धित कर्मी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर दिया जायेगा।

(x) सेवा अनुबंध पर कार्यरत कर्मी के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत/परिवाद प्राप्त होने पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के स्तर से आवश्यक जाँच परिवाद प्राप्त होने के 15दिनों के अन्दर पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित उपायुक्त को प्रेषित किया जायेगा। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के एक पक्ष के अन्दर उपायुक्त निर्णय लेना सुनिश्चित करेंगे।

(xi) सेवा अनुबन्ध पर कार्यरत कर्मी को सेवा अनुबन्ध के विरूद्ध निर्धारित राशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का मानदेय अथवा भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(xii) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवकाश सेवा अनुबन्ध कर्मियों को देय होगा।

(नोटः— सरकार एवं विभाग द्वारा भविष्य में प्राप्त दिशा—निर्देश तथा जिला चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय इस नियुक्ति में प्रभावी होगा।)

उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

आवेदन पत्र (ए–4 साईज पेपर में मुदित)

1. सेवा जिसके लिए आवेदन समर्पित किया जा रहा है :–

2. आवेदक का नाम :–
   (हिन्दी एवं अंग्रेजी में)

स्व अभिप्रमाणित फोटो

3. पिता / पति का नाम :–

4. आरक्षण कोटि :–
   (सक्षम स्तर से निर्गत स्थानीयता, जाति, आय एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न की जाय)

5. जन्म तिथि :–

6. पत्राचार का पता :–

7. स्थायी पता :–

8. राष्ट्रीयता :–

9. मोबाईल नं0–

10. ई– मेल :–

11. शैक्षणिक योग्यता :–

परीक्षा का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष	परीक्षा के विषय	प्राप्तांक	प्रतिशत

(शैक्षणिक योग्यता संबधी प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय)

12. अनुभव एवं नियोजनों का विवरण यदि हो :–

पद का नाम	स्थायी / अस्थायी / संविदा / अन्य	पदग्रहण की तिथि	पदत्याग की तिथि	नियोजक का नाम एवं पूरा पता
1				
2				
3				

(नियोजन अवधि में मानदेय भुगतान से संबंधित विवरणी एवं प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय)

13. उम्मीदवार का पहचान चिन्ह:–

14. आवेदन शुल्क भुगतान संबंधी विवरणी :–

15. आवेदन के साथ संलग्न अनुलग्नकों की सूची :–

1–	2–	3–	4–
5–	6–	7–	8–

16. मैं .... घोषित करता हूँ कि :–

(क) इस आवेदन में दिये गये सभी विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

(ख) मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्र मांग करने पर प्रस्तुत करूँगा/करूँगी।

(ग) यदि परीक्षा से पूर्व या पश्चात् किसी समय कोई सूचना गलत या असत्य पायी जाएगी तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है एवं मेरे विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान एवं दिनांक:–

उम्मीदवार का हस्ताक्षर